न्यायालय उपखण्ड अधिकारी , नोखा (बीकानेर)

13 / 2019

1. केशुराम पुत्र मानाराम जाति जाट सा. काहिरा, तहसील नोखा
2. मीरा पुत्री भेरा राम जाति जाट सिराण सा. कहिरा, तहसील नोखा..... प्रार्थीगण

बनाम

1. सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग
2. स्टेट जरिये तहसीलदार नोखा ..... अप्रार्थीगण

[प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955]

==========

--:: निर्णय ::--

1. प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अनुसार ग्राम काहिरा के खेत खसरा सं. 961, 962, 963, 1076, 1077 तादादी 13.37 हेक्टेयर में प्रार्थी सं. 1 की खातेदारी भूमि है । इसी प्रकार प्रार्थिया सं. 2 के खसरे संख्यांक 257, 258, 261, 552, 558, 559, 569, 570, 571, 574, 952, 953, 954, 955, 1078 कुल 27.69 हेक्टेयर रक़बे की खातेदार आसामी है । उक्त खसरान से संबन्धित रास्ते का अंकन संलग्न नक्शे में दर्शाया हुआ है । अप्रार्थी सं. 1 द्वारा इन खसरों में बनी ढाणियों को छोड़ते हुए केवल 2-3 घरों की ढाणियों के लिये सड़क निर्माण करवाया जा रहा है । समीप ही बने मन्दिर के लिये हजारों श्रद्धालुओं के लिये रास्ता न बनाकर अन्य 2-3 लोगों के व्यक्तिगत लाभ के लिये प्रस्तावित ट्रेक *काहिरा ग्राम से सिद्ध आसिया नाडी तक* को छोड़ते हुए अन्य रास्ते पर सड़क बनाई जा रही है ।

2. नक्शे अनुसार प्रार्थीगण के समस्त खेत खसरे भू-अवरूद्ध (Land Locked) भूधृतियाँ है । अतः प्रथम दृष्टतया प्रार्थीगण के पक्ष में केवल उसकी खातेदारी जोत जमाबन्दी रिकॉर्ड अनुसार होने से मामला नहीं बनता है । प्रार्थीगण अपने खातों के समस्त खसरों को प्रार्थना पत्र में अंकित कर प्रार्थना पत्र के माध्यम से क्या अनुतोष प्राप्त करना चाहतें हैं, अवगत नहीं करा पाये है । प्रार्थीगण किस खसरे में बने मन्दिर के लिये सड़क की मांग कर रहे हैं पता नहीं लगता है । कौनसा मन्दिर किस खसरे में बना हुआ है या किस वर्ग की भूमि पर बना हुआ है, प्रार्थीगण स्पष्ट नहीं कर पाये हैं । काहिरा ग्राम की जनसंख्या के हिसाब से हजारों श्रद्धालुओं का आना सही प्रतीत नहीं होता है । प्रार्थीगण द्वारा बताया गया है कि अप्रार्थी सं. 1 केवल 2-3 ढाणियों को फायदा पंहुचाने के लिये सड़क बनाना चाहते है, वो किन खसरों की ढाणियाँ है, प्रार्थीगण बताने में असमर्थ रहे हैं । अत: प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टतया मामला नहीं बनता है ।

3. सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण अपने पक्ष में नहीं रख पाये हैं क्योंकि किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से यह सिद्ध नहीं किया है कि मन्दिर किस खसरे में बना है व किन किन खसरों में से सड़क

उपखण्ड अधिकारी (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी
नोखा

Scanned by CamScanner

रूपी रास्ता बनता है तो अधिक लोगों को आवागमन, सुविधाओं व मन्दिर के लिये जाने का रास्ता मिलेगा । संबन्धित ग्राम पंचायतें, स्थानीय मेलों, मन्दिरों में जागरण/कीर्तन या श्रद्धालुओं की सुख-सुविधाओं की सामान्य व्यवस्थाएं आदि देखती रही है । स्थानीय ग्राम पंचायत का कोई विरोध सामने नहीं आया है । सार्वजनिक निर्माण विभाग की एजेंसी द्वारा स्थानीय ग्राम पंचायत के सदस्यों से विमर्श उपरांत, सर्वे कराये जाने के बाद ही प्रचलित सार्वजनिक रास्ते पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है तथा सर्वे एलाईनमेंट पर लगभग 800 मीटर दूरी की लम्बाई पर डामरीकरण किया जा चुका है । अतः प्रार्थीगण के पक्ष में सुविधा का संतुलन नहीं है ।

4. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में मरूस्थलीय जिलों में 250 या इससे अधिक तक जनसंख्या वाली सम्पर्कविहीन पात्र बसावटों को बारहमासी डामर सड़कों से जोड़ने का उद्देश्य है जिससे ग्रामीणों को आर्थिक व सामाजिक सेवाओं (शिक्षा, स्वास्थ्य, विपणन, सुविधाएं आदि) तक पंहुच का माध्यम मिलेगा । PMGSY में सड़क निर्माण का परिक्षेत्र राजस्व ग्राम या पंचायत न होकर ढाणी, टोला, माजरा आदि के रूप में बसावट है । यदि प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों में सड़क का रास्ता बनता है तो उन्हें कोई अपूर्णीय क्षति होगी, यह सिद्ध नहीं होता है ; अपितु डामर सड़क रास्ता बनने से प्रार्थीगणों के अन्य खसरों को भी सड़क से जोड़ने के लिये धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत लघुत्तम मार्ग के रास्ते का विकल्प मिलेगा ।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है । तहसीलदार नोखा, उक्त अनुसार रिकॉर्ड में डॉटेड रास्ते को नये खसरा संख्यांक देने के लिये व संबंधित एजेंसियां सड़क निर्माण हेतु स्वतंत्र है ।

निर्णय आज दिनांक 03.07.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी नोखा (बीकानेर)

3/7/19

(रमेश देव)
उपखण्ड अधिकारी
नोखा

उपखण्ड अधिकारी
नोखा

Scanned by CamScanner